[2022] 7 एस. सी. आर 283

ए.

बोहाटी देवी

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और ए. एन. आर. (2022 की आपराधिक अपील संख्या 1695) सितंबर 30,2022

बी.

[एम**.** आर**.** शाह और कृष्णा मुरारी**,** जे**.** जे**.]**

सी.

दंड संहिता, 1860-एस. एस.302, 120 बी-जमानत-प्रत्यर्थी सं।2- अभियुक्त को उच्च न्यायालय द्वारा जमानत दी गई-अपील पर, अभिनिर्धारित किया गयाःउच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यर्थी संख्या को जारी करते समय कोई ठोस कारण नहीं दिया गया है।2 जमानत पर, जमानत देने के लिए और वह भी यू/एस. एस. के तहत बहुत गंभीर अपराध में।302 और 120 बी-उच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यर्थी संख्या को जारी करते समय सामग्री और/या प्रासंगिक पहलुओं की अनदेखी की गई है।2 जमानत पर-इसके अलावा, सह-अभियुक्त के साथ समानता पर विचार करते हुए, उसने उक्त सह-अभियुक्त की भूमिका और प्रत्यर्थी नं.2 – विवादित निर्णय अपास्त करना दिया गया-दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 -s.482।

डी.

ई.

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः2022 की आपराधिक अपील संख्या 1695।

आपराधिक विविध मामले में इलाहाबाद में उच्च न्यायालय के 25.03.2022 दिनांकित निर्णय और आदेश से।2022 की जमानत आवेदन संख्या 4095।

एफ.

अतुल कुमार, अभिमन्यु शर्मा, सुश्री दीपाली, तरुण गुप्ता, अधिवक्तागण अपीलार्थी के लिए।

जी.

विनोद दिवाकर, ए. ए. जी., राकेश कुमार खन्ना, वरिष्ठ अधिवक्ता, सर्वेश सिंह बघेल, बी. एन. दुबे, विशाल कुमार सिंह, आशुतोष दुबे, अभिषेक चौहान, एच. बी. दुबे, सुश्री राजश्री दुबे, अमित पी. शाही, आशीष तंवर, आर. खन्ना, अमित कुमार, अधिवक्तागण उत्तरदाताओं के लिए।

एच.

283 ए.

284

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2022] 7 एस सी आर।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

एम. आर. शाह, जे.

1. आपराधिक विविध मामले में इलाहाबाद में उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और दिनांक 25.03.2022 के आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करना।2022 का जमानत आवेदन संख्या 4095, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने प्रत्यर्थी संख्या 2 अभियुक्त को आई. पी. सी. की धारा 302 और 120 बी के तहत अपराध के लिए एफ. आई. आर. के संबंध में जमानत पर रिहा कर दिया है, मूल शिकायतकर्ता (अब राज्य) ने वर्तमान अपील को प्राथमिकता दी है।

बी.

2. शुरुआत में, यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि प्रत्यर्थी संख्या 2 आई. पी. सी. की धारा 302 और 120 बी के तहत अपराध के लिए मुकदमे का सामना कर रहा है। उच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 2 को जमानत पर रिहा करने के विवादित निर्णय और आदेश को देखने के बाद, यह देखा जा सकता है कि उच्च न्यायालय ने प्रत्यर्थी संख्या 2 के खिलाफ कथित अपराध की गंभीरता और गंभीरता पर बिल्कुल भी विचार नहीं किया है। यहां तक कि उच्च न्यायालय ने भी आरोप पत्र बनाने वाली प्रासंगिक सामग्री पर विचार नहीं किया है।उच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 2 को जमानत पर रिहा करते समय कोई ठोस कारण नहीं दिया गया है, जमानत देने के लिए और वह भी आई. पी. सी. की धारा 302 और 120 बी के तहत एक बहुत ही गंभीर अपराध में।

सी.

डी.

2.1 उच्च न्यायालय ने इस तथ्य पर भी विचार नहीं किया है कि इससे पहले प्रत्यर्थी संख्या 2-अभियुक्त ने धारा 482 Cr.P.C के तहत एक आवेदन दायर करके अपने खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष कार्यवाही शुरू की थी, जिसे उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया था।उच्च न्यायालय ने इस बात पर भी विचार नहीं किया है कि उच्च न्यायालय द्वारा धारा 482 Cr.P.C के तहत आवेदन को खारिज करने के आदेश के

खिलाफ दायर विशेष अनुमति याचिका भी इस न्यायालय द्वारा खारिज कर दी गई है।उच्च न्यायालय ने इस बात पर भी ध्यान नहीं दिया और/या विचार नहीं किया कि प्रत्यर्थी संख्या 2-अभियुक्त के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया गया था और उसके बाद, उसे वर्ष 2021 में गिरफ्तार किया गया था।उच्च न्यायालय ने प्रत्यर्थी संख्या 2 को जमानत पर रिहा करते समय उपरोक्त सभी पहलुओं को नजरअंदाज कर दिया है, जो जमानत के अनुरोध पर विचार करते समय बहुत ही महत्वपूर्ण और/या प्रासंगिक हैं।

ई.

एफ.

जी.

2.2 विवादित फैसले और आदेश से ऐसा प्रतीत होता है कि उच्च न्यायालय ने सह-आरोपी विक्की और सर्वेश उर्फ मंगल की जमानत बढ़ाने पर विचार किया है।हालाँकि, उच्च न्यायालय ने समानता पर विचार करते हुए उक्त सह-अभियुक्त की भूमिका और प्रत्यर्थी संख्या 2 के खिलाफ आरोपों पर विचार नहीं किया है।

एच.

285

बोहाटी देवी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और ए. एन. आर. [एम. आर. शाह, जे.]

ए.

3. उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, उच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 2 को जमानत पर रिहा करने का विवादित निर्णय और आदेश अस्थिर है और इसे रद्द किया जाना चाहिए और अलग रखा जाना चाहिए और तदनुसार इसे रद्द कर दिया जाता है और अपास्त करना दिया जाता है।उच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 2-अभियुक्त को आई. पी. सी. की धारा 302,120 बी, पी. एस. बड़ौत, जिला बागपत के तहत अपराध के लिए 2014 के मामला अपराध संख्या 1069 के संबंध में जमानत पर रिहा करने का विवादित निर्णय और आदेश इसके द्वारा अपास्त करना कर दिया जाता है और खारिज कर दिया जाता है।

बी.

अब, प्रत्यर्थी संख्या 2 को आज से दो सप्ताह की अवधि के भीतर संबंधित जेल प्राधिकरण/न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण करना होगा, जिसमें विफल रहने पर उसके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया जाएगा।हालाँकि, यह देखा गया है कि विद्वत विचारण न्यायालय कानून के अनुसार और गुण-दोष के आधार पर और अपने समक्ष प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर और किसी भी तरह से वर्तमान आदेश से प्रभावित हुए बिना मुकदमा चलाएगा जैसा कि वर्तमान आदेश में की विद्वान कोई भी टिप्पणी जमानत आवेदन पर विचार करते समय की विद्वान है।

सी.

तदनुसार वर्तमान अपील की अनुमति है।

डी.

दिव्या पांडे

अपील की अनुमति दी गई।

(सहायकः रूपांशी विरंग, एलसीआरए)

ई.

एफ.

जी.

एच.